वैदिक एवं बौद्ध कालीन नारी शिक्षा

कविता रानी गहलौत
शोधार्थिनी
शिक्षाशास्त्र
सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरीबड़ी झुन्झुनू
(राजस्थान)
डॉ० रविकान्त सरल
प्राचार्य, ए०एस०सी०ई०टी०मेरठ।

नारी शिक्षा, को निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित किया गया है।

1. वैदिक काल में नारी शिक्षा की स्थिति
2. बौद्धकाल में नारी शिक्षा की स्थिति
3. नारी शिक्षा का पाठ्यक्रम
4. स्त्रियों का उपनयन एवं प्रव्रज्या
5. समावर्त्तन

1. वैदिक काल में नारी शिक्षा की स्थिति

प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा अपनी उच्चतम सीमा पर थी। वह पुरूषों के समकक्ष बिना भेद–भाव के शिक्षा प्राप्त करती थी। बुद्धि और ज्ञान में अग्रणी थी। पुत्र की तरह पुत्री का भी विद्यारम्भ से पूर्व उपनयन संस्कार सम्पन्न किया जाता था तथा वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई विभिन्न विषयों का अध्ययन करती थी। उसे यज्ञ सम्पादन और वेदाध्ययन का पूर्ण अधिकार था, दर्शन और तर्कशास्त्र में स्त्रियाँ निपुण थी। सभा व गोष्ठियों में वे ऋग्वेद् की ऋचाओं का गान किया करती थी। ऋग्वेद् में उल्लिखित है कि कतिपय विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं के प्रणयन में योग दान प्रदान किया था। पति के साथ समान रूप में वे यज्ञ में सहयोग करती थी। सूत्रकाल तक भी स्त्रियाँ यज्ञ सम्पादित करती थी। उत्तर वैदिक युग में भी स्त्री ब्रह्मचर्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी। वैदिक काल के अतिरिक्त वह ललित कलाओं में भी पारंगत होती थी। महाभारत से ज्ञात होता है कि पांडवों की माँ कुन्ती अथर्ववेद में पारंगत थी। इससे स्पष्ट है कि वैदिक युग की स्त्रियाँ मंत्रविद् और पडिंता होती थी तथा ब्रह्मचर्य का अनुगमन करती हुई उपनयन संस्कार भी कराती थी। अध्ययन तथा मनन के क्षेत्र में स्त्रियों की रूचि बराबर बढ़ती गई। दर्शन जैसे गूढ़ और गम्भीर विषय में भी वे पारंगत होने लगी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी विख्यात दार्शनिका थी जिसकी रूचि सांसारिक वस्तुओं और अलंकारों में न होकर दर्शन शास्त्र में थी। यही नही उसने अपने पति की सम्पत्ति में अपने अधिकार को, अपने पति याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी के हित में त्यागकर केवल ज्ञान प्राप्त करने की याचना की थी। वैदिक युग में छात्राओं के दो वर्ग थे, एक **सद्योवधू** और दूसरा **ब्रह्मवादिनी**। सद्योवधू वे छात्राएँ थी जो विवाह के पूर्व तक कुछ वेद मंत्रों और याज्ञिक प्रार्थनाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेती थी तथा ब्रह्मवादिनी वे थी जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने में अपना जीवन

कविता रानी गहलौत,शोधार्थिनी (शिक्षाशास्त्र),सिंघानिया विश्वविद्यालय ,पचेरीबड़ी,झुन्झुनू (राजस्थान)

लगा देती थी। ऋषि कुशध्वज की वेदवती ऐसी ही ब्रह्मवादिनी स्त्री थी। ऐसी स्त्रियाँ बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न होती थी, जो ज्ञान और बुद्धि में पारंगत ही नहीं बल्कि अनेक मंत्रों की उद्‌गात्री होती थी। वे दर्शन, तर्क, मीमांसा, साहित्य आदि विभिन्न विषयों की पंडिता होती थी। काशकृत्स्नी नामक स्त्री ने मीमांसा जैसे क्लिष्ट और गूढ़ विषय पर बहुचर्चित पुस्तक का प्रणयन किया था, जो बाद में उसी के नाम पर विख्यात

हुई। इस वर्ग के अध्येता 'काशकृत्सनी' ही कहे गये। पाणिनी ने महिला शिक्षण शाला का उल्लेख किया है। सह शिक्षण का भी प्रचलन था। छात्र–छात्राएँ एक साथ शिक्षण प्राप्त करते थे। वाल्मीकि आश्रम में आत्रेयी ने लवकुश के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। अथर्ववेद में स्पष्ट उल्लेख है कि कन्या को ब्रह्मचर्य का पालन करने के उपरान्त ही विवाह करना चाहिए–

"Brahmacharyena tapasa raja rastram Biraksati. Acharyo brahmacharyeena brahmacharin michchate Brahmacharyena Kanyayubanam bindyats Patim"

ब्रह्मचर्य का पालन करके एक राजा अपने राज्य की अच्छी तरह रक्षा कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके ही एक गुरू अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर सकता है; उसी प्रकार एक युवा पुत्री को अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने के उपरान्त किसी युवक से विवाह करना चाहिए। वेद युग में पर्दा प्रथा का पूर्णतः अभाव था। कन्याएँ निर्मुक्त् होकर युवकों के साथ अध्ययन करती थी, आम सभाओं में भाग लेती थी। ऋग्वेद में वर्णित है कि जिस प्रकार घी में डूबा हुआ चम्मच बाहर निकलकर यज्ञानिल में घी अर्पित करता है, उसी प्रकार घर के अन्दर रहने वाली कन्या जन साधारण के मध्य आती थी एवं सभाओं में भाग लेती थी। वेद युगीन स्त्रियाँ जनतंत्रीय सभाओं की शासन सम्बन्धी बहसों में भी भाग लेती थी। वैदिक नारियाँ वैदिक ग्रन्थों का अध्ययन करती थी, एवं यज्ञों में भाग लेकर मंत्रोच्चारण भी करती थी। यज्ञ करने वाली स्त्रियों में विश्ववारा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक कन्या द्वारा घर में यज्ञ करने का वर्णन वेद में मिलता है। पत्नी ही यज्ञ में सोमगीतों का गान करती थी। यज्ञ के लिए चावल बनाती, पशु को स्नान कराती थी, वेदी का निर्माण करती थी। अग्नि तैयार करती थी। यज्ञ की समाप्ति पर पत्नी ही मंत्रोच्चारण करती थी। जब पत्नी को मंत्र याद नहीं रहते थे तब वह सुन–सुनकर दोहराती थी।

यदि पति विदेश में हो तो पत्नी को अकेले ही यज्ञ सम्पन्न करना पडता था। यह विधान 'सूत्र–काल' तक जीवित था। यदि किसी कारणवश पति के रहते हुए यज्ञ में उसका सहयोग प्राप्त न हो तो भी पत्नी को स्वतः यज्ञ सम्पन्न करना होता था। इन्द्राणी ने अनेक यज्ञ सम्पन्न किए थे। ऋग्वैदिक ऋषियों ने निम्न वर्णीय पत्नी को भी यज्ञाधिकार प्रदान किए थे।

उत्तर वैदिक काल के परवर्ती युग से नारी की दशा अवनति की ओर अग्रसर होने लगी। उसके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उसे असत्य भाषी तथा अमृत कहा गया। उसे पुरूषों के साथ यज्ञ में सोम का भाग लेने से वंचित कर उसकी स्वतंत्रता पर अकुंश लगाया गया। भीष्म का मत है कि स्त्रियाँ स्वभावतः अपनी लिप्सा को दबा नही पाती, इसलिए उन पर किसी पुरूष का नियन्त्रण अनिवार्य है। स्त्रियों के दो प्रकार है–साध्वीं और असाध्वीं। साध्वीं स्त्रियाँ पृथ्वी की माता तथा उसकी संरक्षिका हैं और असाध्वीं स्त्रियाँ अपनी पापी गतिविधियों से विख्यात। धर्मसूत्रों और स्मृतियों के युग में स्त्री की दशा पूर्णतः पतनोन्मुख हो गई। स्त्री के साथ भोजन करने वाले पुरूष को गर्हित आचरण करने वाला व्यक्ति घोषित किया गया। उस स्त्री की प्रशंसा की गई जो 'अप्रतिवादिनी' (प्रतिवाद न करने वाली) थी। उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया तथा उसके शरीर पर उसके पति का स्वामित्व माना गया। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण उसकी स्थिति निरन्तर ह्रासोन्मुख होती गई। उसकी स्वतत्रंता तथा उन्मुक्तता पर अनेक प्रकार के अकुंश लगाए जाने लगे। मनु जैसे स्मृतिकारों ने उसे कभी भी स्वतंत्र न रहने के लिए निर्देशित किया तथा यह विचार प्रकट किया कि स्त्री कभी भी स्वतंत्र रहने योग्य नही है। जब तक वह कन्या रहे उस पर पिता का संरक्षण रहे, जब विवाह हो जाये तब उस पर भर्ता (पति) का संरक्षण रहे और जब स्थविर (वृद्धावस्था) हो तब उस पर पुत्र का संरक्षण रहे।

दूसरी सदी ई०पू० तक स्त्री का उपनयन व्यवहारतः बन्द हो चुका था तथा विवाह के अवसर पर ही उसका उपनयन संस्ककार सम्पन्न कर दिया जाता था। कालांतर से शूद्रो की ही तरह वेदों के पठन–पाठन और यज्ञों में सम्मिलित होने के अधिकार से वह वंचित कर दी गई तथा शिक्षण संस्थानों और गुरूकुलों में जाकर ज्ञान प्राप्त करना कन्या के लिए अतीत की बात हो गई थी।

2. बौद्धकाल में नारी शिक्षा की स्थिति

गौतम बुद्ध के समय नारी की स्थिति अति हेय एवं दयनीय हो उठी थी। बुद्ध के उपदेशों में स्त्रियों पर प्रचुर रूप से आक्रोश की वर्षा हुई है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों की दशा उतनी हीन न थी, जितनी तत्कालीन साहित्य में वर्णित है। गौतम बुद्ध ने युवा–वर्ग को भिक्षु–जीवन की ओर आकर्षित करने की दृष्टि से एवं माया केन्द्र नारी से विरत करने का यही उपाय निकाला था कि नारी का अतिनारकीय स्वरूप ही समाज के सम्मुख रखा जाय, ताकि पुरूष वर्ग स्वयं ही नारी से घृणा करने लगे। जो "नारी वैदिक युग में लक्ष्मी मानी जाती थी एवं घर की रानी समझी जाती थी, बौद्ध युग में मात्र 'वासना की पुतली' के रूप में प्रस्तुत की गई थी। गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा, "जैसे नदी, पथ, शराब खाने, धर्मशालाएँ, प्याऊ आदि सबके लिए होते है, वैसे ही लोक स्त्रियाँ भी सबके लिए होती है।"

पालि साहित्य में स्त्री का मात्र कुल्टा रूप ही प्रतिबिम्बित होता है। जातक में ऐसी स्त्रियों के 25 लक्षण बताए गए है।

गौतम बुद्ध नारी–समाज को भिक्षु धर्म में दीक्षित करने के पक्ष में नही थे किन्तु अपने प्रिय आनन्द के अनुरोध पर नारी प्रव्रज्या की अनुमति दी थी लेकिन इसके साथ आठ शर्ते भी लगा दी। प्रतिबन्ध लगाते हुए तथागत ने आनन्द से कहाः "हे आनन्द! यदि स्त्रियों को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर तथागत द्वारा प्रतिपादित धर्म तथा चिर–स्थायी होता है। हे आनन्द! अब स्त्रियों को वह अधिकार प्रदान कर दिया गया, अतः यह विशुद्ध धर्म, आनन्द अब मात्र पाँच सौ वर्षो तक स्थिर रह पाएगा।" यद्यपि गौतम बुद्ध स्त्री प्रव्रज्या से खुश नही थे तथापि बौद्ध ग्रन्थों में अनेक ऐसे उद्धरण मिलते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि स्त्रियाँ प्रायः शिक्षित और विद्वान हुआ करती थी। विद्या, धर्म और दर्शन के प्रति उनकी अगाध रूचि होती थी। बौद्ध आगामों की शिक्षिकाओं के रूप में भी उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। थेरीगाथा की कवियित्रियों में 32 आजीवन ब्रह्मचारिणी और विवाहित भिक्षुणियाँ थी। उनमें शुभा, सुमेधा, और अनुपमा उच्च वंश की कन्याएँ थी, जिनसे विवाह करने के लिए राजकुमार और संपत्तिशाली सेठों के पुत्र उत्सुक थे।

भिक्षुणी खेमा उस युग की उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्री थी, जिसकी विद्वता की ख्याति दूर–दूर तक फैली थी। संयुक्तनिकाय से ज्ञात होता है कि सुभद्रा नामक भिक्षुणी व्याख्यान देने में प्रसिद्ध थी। राजगृह के सम्पत्तिशाली सेठ की पुत्री भद्राकुण्डकेशा अपने विद्या और ज्ञान से सबको आकृष्ट करती थी। ये उद्धरण इस बात के प्रमाण हे कि उस युग में साधारणतः स्त्रियाँ ज्ञान–पिपासु थी तथा उनके अन्वेषण और प्राप्ति में तल्लीन रहती थी।

उपर्युक्त उद्धरण तथा विवरण से यह स्पष्ट होता है कि नारी शिक्षा की स्थिति वैदिक युग में अपने चरमोत्कर्ष पर थी; परन्तु उत्तर वैदिक समाज में नारी की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई तथा जो नारी लक्ष्मी रूप में समझी जाती थी बौद्ध काल तक आते–आते वह भोग्या के रूप में वर्णित की जाने लगी। यद्यपि शिक्षित स्त्रियों के पर्याप्त उद्धहरण बौधग्रन्थों से प्राप्त होते है; तथापि यह संख्या बहुत सीमित थी दूसरे शब्दो में कहा जाए तो शिक्षा केवल अभिजात वर्ग तक सीमित थी। साधारण स्त्रियाँ अशिक्षित ही होती थी या वे केवल माता–पिता, भाई, बन्धु आदि से अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी।

3. नारी शिक्षा का पाठ्यक्रम

पुराणों से विदित होता है कि नारी शिक्षा के दो रूप थे, एक आध्यात्मिक और दूसरा व्यवहारिक। आध्यात्मिक ज्ञान में बृहस्पति–भगिनी भुवना, अपर्णा, एकपर्णा एक पाप्ला, मेना, धारिणी, संनति, शरूपा आदि कन्याओं के नामों का उल्लेख है, जो ब्रह्मवादिनी' थी। आध्यात्मिक ज्ञान की अभिवृद्धि योग और तप पर निर्भर करती थी जिसमें स्त्री का ब्रह्मचर्य, सदाचरण, गृहास्थिक शिक्षा से भी अवगत हुआ करती थी। ललित कलाओं में भी वे निपुण होती थी। कौशलपूर्वक नृत्य करती थी तथा ऋग्वेद की ऋचाओं का गान करती थी।

उत्तर वैदिक कालीन व्यवहारिक शिक्षा में वे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की भी शिक्षा ग्रहण करती थी। प्रमदाओं की कमनीय भाव–भंगिमा और आकर्षक नृत्यकला शोभा और सुन्दरता का केन्द्र बिन्दु थी। चित्रकला का समुचित विकास हो चुका था। सुस्थ रेखांकन रंगों का अपेक्षित प्रयोग तथा आकृति का अभिव्यक्तिकरण चित्रकला के प्रधान आधार थे। इस सम्बन्ध में अनेक पौराणिक संदर्भ मिलते है। वाणासुर

के मंत्री कुष्माण्ड की कन्या की सखी चित्रलेखा ने चित्रपट पर अनेक देवों, गंधवों और मनुष्यों की आकृतियों का अंकन किया था, जिसमें अनिरूद्ध का भी चित्ताकर्षक चित्र था।

कन्याओं को मुख्यतः हस्तकला (खिलौने बनाने की कला एवं सिलाई आदि), सुगम कला (गायन, वादन एवं नर्तन), चित्र कला, बागवानी, पाक विद्या, एवं वेदाध्ययन कराया जाता था। इसके अतिरिक्त कन्याओं को सम्यक् रूप में अतिथि–सत्कार करने एवं गृहस्थी का कुशलतापूर्वक संचालन करने की पूर्ण शिक्षा दी जाती थी।

वेद युगीन छात्राओं को दो कोटियों में विभक्त किया जा सकता है–ब्रह्मवादिनी एवं सद्योद्वाहा। ब्रह्मवादिनी नारियाँ अपना सम्पूर्ण जीवन गुरूकुल को ही समर्पित कर देती थी। वे अविवाहित रहते हुए जीवन–पर्यन्त अध्ययन एवं अध्यापन करती रहती थी, किन्तु सद्योद्वाहा छात्राएं केवल विवाह पर्यन्त (15, 16 वर्ष तक) ही अध्ययन करती थी।

छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रा–शालाएँ हुआ करती थी।

वात्स्यायन ने स्त्रियों के लिए 64 अंगविद्याओं के अध्ययन का उल्लेख किया है।[40] उसने 'उपाध्याया', 'उपाध्यायी', 'आचार्या', आदि का भी उल्लेख किया है। परवर्ती काल में नारी शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगने लगा था, यद्यपि बौद्ध परम्पराओं से विदित होता है कि स्त्रियाँ सुशिक्षित हुआ करती थी। प्रारम्भ में महात्मा बुद्ध स्त्री प्रव्रज्या के विरूद्ध थे परन्तु कालान्तर में उन्होंने इसकी आज्ञा प्रदान कर दी थी। अतः इन्हें भी तीन वेदों और अठारह शिल्पों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वात्स्यायन के अनुसार 64 अंग विद्या की शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी जो निम्न थी–

(1) गीतम् (2) वाद्यम् (3) नृत्यम् (4) आलेख्यम् (5) विशेषकच्छेद्यम् (6) तण्डुलकुसुमवलिविकाराः (7) पुष्पास्तरणम् (8) दशनवसनांगरागः (9) मणिभूमिकाकर्म, (10) शयनरचनम् (11) उद्कवाद्यम् (12) उद्काघातः (13) चित्राश्ययोगाः (14) माल्यग्रथनविकल्पाः (15) शेखरकापीडयोजनम् (16) नेप्थ्यप्रयोगाः (17) कर्णपत्रभंगाः (18) गंधयुक्तिः (19) भूषणयोजनम् (20) ऐन्द्रजालाः (21) कौचुमाराश्चयोगाः (22) हस्तलाघवम् (23) विचित्रशाकयूपभक्ष्यविकार क्रिया (24) पानकरसरागासवयोजनम् (25) सूचीवानकर्माणि (26) सूत्रक्रीडा (27) वीणडमरूकवाद्यानि (28) प्रहेलिका (29) प्रतिमाला (30) दुर्वाचकयोगाः (31) पुस्तकवाचनम् (32) नाट्काख्यारियकादर्श नम् (33) काव्यसमस्यापूरणम् (34) पट्टिकमावेत्रवानविकल्पः (25) तक्षकर्माणि (36) तक्षणम् (37) वास्तुविद्या (38) रूप्यरलपरीक्षा (39) धातुवाद्यः (40) मणिरागाकरज्ञानम् (41) वृक्षायुर्वेदयोगाः (42) मेषकुक्कुट लावक युद्धविधिः (43) शुकसारिकाप्रलानम् (44) उत्सादने संवाहने केशमर्दने च कौशलम् (45) अक्षरमुष्टिकाकथनम् (46) म्लेच्छितविकल्पाः (47) देशभाषाविज्ञानम् (48) पुष्पशटिका (49) निमित्तज्ञानम् (50) यन्त्रमातृका (51) धारणामातृकर (52) सम्पाट्यम् (53) मानसोकाव्यक्रियाः (54) अभिज्ञाानकोशः (55) छन्दोज्ञानम् (56) क्रियाकल्पः (57) छलितकयोगाः (58) वस्त्रगोपनानि (59) द्यूतविशेषः (60) आकर्षक्रीडा (61) बालक्रीडनकानि (62–4) वैनयिकीनां वैजयिकीनां व्यायामिकीनां च विद्यानां ज्ञानम्।

4. स्त्रियों का उपनयन एवं प्रव्रज्या

वैदिक काल में स्त्री का प्रारम्भ (उपनयन) – कोई भी व्यक्ति तब तक वैदिक मंत्रों का जाप नहीं कर सकता था या वैदिक यज्ञ नहीं कर सकता था जब तक उसका उपनयन संस्कार न हुआ हो। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वैदिक काल में स्त्रियों का भी उसी प्रकार उपनयन संस्कार होता था जैसा लड़को का। अर्थववेद (xi. 5-18) में इस सन्दर्भ में कहा गया है कि कुंवारी कन्याओं को ब्रह्मचर्य संस्कार से गुजरना पड़ता था। मनु ने भी स्त्रियों के उपनयन संस्कार को आवश्यक बताया है।

बौद्धकाल में नारी शिक्षा का प्रारम्भ (प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा) – 'चुल्लवग्ग' में वर्णित है कि स्त्री प्रव्रज्या के सम्बन्ध में तथागत द्वारा प्रतिपादित धर्म तथा विनय के अनुसार प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति नही दी गई होती तो वह विशुद्ध धर्म चिरस्थायी होता। अब स्त्रियों को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया, अतः यह विशुद्ध धर्म आनन्द, अब मात्र पाँच सौ वर्षो तक स्थिर रह पाएगा। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध स्त्री प्रव्रज्या से बहुत संतुष्ट नही थे, तथापि बौद्ध आगामों की शिक्षिकाओं के रूप में भी उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। थेरीगाथा की कवियित्रियों में 32 आजीवन ब्रह्मचारिणी और 18 विवाहित

भिक्षुणियाँ थी। उनमें शुभा, सुमेधा और अनुपमा उच्च वंश की कन्याएँ थी, जिनमें विवाह करने के लिए राजकुमार और सम्पत्तिशाली सेठों के पुत्र उत्सुक थे। संयुक्त निकाय से ज्ञात होता है कि सुभद्रा नामक भिक्षुणी व्याख्यान देने में प्रसिद्ध थी। इससे स्पष्ट है कि बौद्ध शिक्षा के अन्तर्गत नारी शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु प्रव्रज्या संस्कार लड़कों के समान ही लड़कियों का भी सम्पन्न किया जाता था। प्रव्रज्जित नारी भिक्षुणी कहलाती थी। जो भिक्षुणी आजीवन भिक्षुणी बने रहकर संघ की सेवा करना चाहती थी उनका 'उपसम्पदा' संस्कार भी भिक्षुओं के समान सम्पन्न किया जाता था। महात्मा बुद्ध ने नारी प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा की अनुमति दी थी किन्तु इसके साथ आठ शर्ते भी लगा दी थी जो निम्न थी–

1. भिक्षुणियाँ श्रमणों का आदर करेंगी।
2. अभिक्षु–कुल में भिक्षुणियों का वर्षावास नहीं होगा।
3. प्रत्येक पखवारे भिक्षुणियाँ भिक्षु संघ से उपोसध प्राप्त करेंगी।
4. वर्षावास के अनन्तर भिक्षुणियों को दोनो संघो में दृष्ट, श्रुत और परिशंकित तीनों स्थानों में प्रवारण करनी पडेगी।
5. भिक्षुणियाँ दोनो संघो में पक्षमानना करेंगी।
6. दो वर्ष के अन्तर्गत छः धर्मो में शिक्षित होकर भिक्षुणी को दोनो संघो में उपसम्पदा की प्रार्थना करनी पड़ेगी।
7. भिक्षुणी को आक्रोश परिभाषण नहीं करना होगा तथा
8. भिक्षूओं के सम्बन्ध में कुछ कहने का मार्ग भिक्षुणियों के लिए निरूद्ध होगा।

5. समावर्त्तन –

गृहसूत्रो से विदित होता है कि स्त्रियों का उपनयन संस्कार के साथ–साथ समावर्त्तन संस्कार भी लड़को जैसा ही सम्पन्न होता था। समावर्त्तन संस्कार ब्रह्मचर्य जीवन की समाप्ति के बाद होता था। इस प्रकार उपनयन शिक्षा का प्रारम्भ तथा समावर्त्तन शिक्षा की समाप्ति पर सम्पन्न किया जाता था।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा के अन्तर्गत नारी शिक्षा की समाप्ति समावर्त्तन संस्कार से होती थी तथा बौद्धकालीन शिक्षा के अन्तर्गत प्रव्रज्या सम्पादन के पश्चात् यदि भिक्षुणी आजीवन भिक्षुणी बने रहना चाहती थी तो उस अवस्था में उनका उपसम्पदा संस्कार सम्पन्न किया जाता था; लेकिन गृहस्थ जीवन यापन करने की स्थिति में इस संस्कार का सम्पादन नही किया जाता था। प्रमाण–पत्र प्रदान करने के पश्चात् शिक्षा समाप्त हो जाती थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

1. *ऋग्वेद 8.31।*
या दम्पति सुमनसा आ च धावतः।
देवा सो नित्यया शिरा।
2. *पाणिनी गृह्म सूत्र 2.20।*
स्त्रियश्चोपयजेरम्ना चरित्वात्
3. *महाभारत 3.305–20।*
4. *अथर्ववेद 11.5.18।*
5. *वृहदारण्य उपनिषद 2.4 4.5।*
सा हो वाच मैत्रेयी।
येनाहं नामृता स्याम् किं तेनाहं कुर्यामिति।
6. *ऋग्वेद 8.91.1।*
कन्या वाम्यावती सोममपि स्रुताविद्त अस्तं भरन्त्यव्रवीदिन्द्राय सुनवैत्वा।
7. *बौद्धायन धर्म सूत्र 1.1.19।*
8. *हॉर्नर, विमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज्म, दूसरा अध्याय*